राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र [प्रश्न सं. क्र 2917] विधानसभा अतारांकित, प्रश्न 2917 परि० 'अ'

प्रकरण क्रमांक - 06/अपराधिक/145/2018-19

1	2	3
18/08/22	प्रकरण प्रस्तुत। अवलोकन किया। आवेदक रामबेटा गर्ग पिता श्री सिद्धगोपाल गर्ग निवासी ग्राम किटहा तहसील बिरसिंहपुर द्वारा अनावेदकगण के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया सहिंता की धारा 145, 146 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर प्रंभिक आदेश जारी कर अनावेदकगणों को आहूत किया गया। अनावेदकगण जरिए अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित हये और उसके द्वारा आवेदन पत्र का खण्डन करने हुए जवाव प्रस्तुत किया गया है। व प्रकरण में आवेदक के साक्षियों के सपथ पत्र प्रस्तुत किये गयें व प्रति परिक्षण किया गया व अनावेदक साक्षियों के भी सपथ-पत्र प्रस्तुत किये गये। प्रकरण में उभयपक्ष विद्वांन अधिवक्ता के मौखिक तर्क श्रवण किये गये जिन्होनें तर्क के दौरान अपने – अपने पक्ष समर्थन की बात कही है। मेरे द्वारा प्रकरण में योजित दस्तावेजों का अवलोकन किया गया सलग्न दस्तावेजों की सूक्ष्म विवेचना की गई। प्रकरण के परिशीलन से यह तथ्य प्रकट होते है कि वादग्रस्त आराजीयातों का आवेदक भूमिस्वामी है। उक्त आराजीयातें आवेदक को जरिये बटवारा प्राप्त हुई थी। प्रस्तुत साक्षों से स्पष्ट है कि अनावेदकगण द्वारा आवेदक की भूमि स्वामित्व की भूमि पर कब्जा किया गया है। अत: दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 145, 146 के तहत आदेश दिया जाकर अनावेदकगणों को आदेशित किया जाता है कि आवेदक के कब्जे दखल व भूमि स्वामित्व की भूमि पर किसी प्रकार का हस्ताक्षेप न करें। आदेश की प्रति नायब तहसीलदार वृत्त जैतवारा व थाना प्रभारी जैतवारा को भेजी जाये। उभयपक्ष सूचित हो। बाद कार्यवाही प्रकरण दाखिल दफ्तर हो। अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मझगवां जिला सतना (म0प्र) पृ0क्र0/309/अनु. अधि/2023 मझगवां दिनांक 12.9.23 प्रतिलिपि: ① नायब तहसीलदार वृत्त जैतवारा। ② थाना प्रभारी जैतवारा।	

Scanned with OKEN Scanner

प्रि.सं. 2917 परिशिष्ट "ब"

कार्यालय थाना प्रभारी थाना जैतवारा जिला सतना म.प्र

क्र. थाना जैतवारा/ सतना/ 17 / 2024 दिनांक - 24 06 2024

प्रति

श्रीमान नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी महोदय
वृत्त तहसील जैतवारा जिला सतना म.प्र

विषयः- अनावेदकगणों के विरुध्द प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के संबंध में।
संदर्भ- श्रीमान के पत्र क्र - 313/ xx /2023 दिनांक 17 10 23 के पालन मे।

महोदय

निवेदन है कि श्रीमान के उक्त सदर्भित पत्र के माध्यम से आवेदक रामबेटा गर्ग पिता सिध्दोगपाल गर्ग निवासी किटहा के व्दारा अनावेदकगण के विरुध्द धारा 145, 146 द.प्र.सं के तहत आवेदन प्रस्तुत करने पर अनावेदगण के विरुध्द प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के संबंध मे जानकारी चाही गई है । जो आवेदक एवं अनावेदक दोनो पक्षो आवेदक 1- रामबेटा गर्ग पिता सिद्धगोपाल गर्ग उम्र 70 वर्ष नि0 किटहा थाना जैतवारा जिला सतना एवं अनावेदक 1- झल्लू प्रसाद गर्ग पिता सिद्धगोपाल गर्ग उम्र 55 वर्ष, 2 राकेस कुमार पिता झल्लू प्रसाद गर्ग उम्र 38 वर्ष, 3. उमेश पिता झल्लू प्रसाद गर्ग उम्र 35 वर्ष, 4.नंदू पिता झल्लू गर्ग उम्र 29 वर्ष, 5.सुधीर पिता झल्लू गर्ग उम्र 23 वर्ष, 6. रंगू पिता झल्लू गर्ग उम्र 25 वर्ष सभी नि0 किटहा थाना जैतवारा के मध्य में जमीन के हिस्से बाँट को लेकर विवाद से, कानून ब्यवस्था भंग होने की सम्भावना पर कानून ब्यवस्था कायम रखने हेतु आवेदक के विरुध्द दिनांक 09 06 2023 इस्तगासा क्र 602/23 तथा अनावेदक के विरुध्द 603/23, 604/23, 605/23, 606/23, 607/2023, 608/23 धारा 107,116(3) जाफौ का तैयार कर पेश तहसील जैतवारा न्यायालय किया गया है।

थाना प्रभारी
थाना जैतवारा
पुलिस अधीक्षक जिला सतना म.प्र

मौका पंचनामा

आज दिनांक को ग्राम रबुरहा में आराजी ख०क्र० 2917 पीठ सं० 1166/1/2, 1262/2, 1401/1163/2, 1200/1163, 1164/1/1, 1199/2, 1235, 1237, 1150/1/ख, 1401/2, 1163/क/1/1, का स्थल निरीक्षण पटवारी हल्का रबुरहा पटवारी ह० निरहा वादी राजवेन्द्र शर्मा एवं प्रतिवादी मल्लू शर्मा तथा पुलिस बल की उपस्थिति मे किया गया। प्रतिवादी मल्लू शर्मा को समझाइश दी गई कि आवेदक राजवेन्द्र शर्मा के कब्जे की भूमि मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करे साथ ही राजवेन्द्र शर्मा को आवेदक के कब्जे की भूमि मे कब्जा दिलाया गया। उपस्थित नागरिको के हस्ता० नीचे अंकित है।

राजवेन्द्र शर्मा → (आवेदक)
मल्लू शर्मा → (अनावेदक)

[signatures]

20/6/24
शिवदयाल कोटवार